रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934

No. 499] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 736(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 605क के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन) नियम, 2004 के नियम 10 के उप-नियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) कोई आई.डी.आर. धारक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या इन अधिनियमों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जारी नियमों, विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आई. डी. आर. का अंतरण कर सकेगा, देशी निक्षेपागारों से उनके मोचन की मांग कर सकेगा या अध:स्त साधारण शेयरों के संपरिवर्तन द्वारा आई.डी.आर. के पुन:निर्गमन की ईप्सा कर सकेगा ।"

[फा. सं. 5/55/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 131(अ), तारीख 23-2-2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 480(अ), तारीख 11-7-2007 और सा.का.नि. 35(अ), तारीख 19-1-2009 द्वारा उनका संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2012

G.S.R. 736(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 642 read with Section 605 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004, in rule 10, for sub-rule (i), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(i) A holder of IDRs may transfer the IDRs, may ask the domestic depository to redeem them or, any person may seek reissuance of IDRs by conversion of underlying equity shares, subject to the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, or the rules, regulations or guidelines issued under these Acts, or other law for the time being in force.".

[F. No. 5/55/2011-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* G.S.R. 131(E), dated 23-2-2004 and amended *vide* G.S.R. 480(E), dated 11-7-2007 and G.S.R. 35(E), dated 19-1-2009.

3742 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.